फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

मन्जू आदि बनाम सावित्री आदि

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–113/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण नं0 1 के ससुर व 2 के दादा एवं अप्रार्थीगण नं0 1 के पति व वादपत्र में अंकित प्रतिवादी नं0 2 ता 7 के पिता स्व0 श्री रूघाराम पुत्र श्री पेमाराम के नाम तहसील सूरतगढ के चक 41 पीबीएन खाता नं0 112 प0न0 71/377 कि0न0 15/2 ता 21 = 1.682 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज थी। स्व0 रूधाराम के देहान्त पश्चात् विरासतन उक्त भूमि प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 सोहनलाल व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के नाम ब0हि0ब0 दर्ज हुई। स्व0 रूधाराम द्वारा अपने जीवनकाल में जैरवाद रकबा को अपनी पत्नी व पुत्रियो की सहमति से दो पुत्रो स्व0 सोहनलाल व रोहिताश के मध्य कर दिया था। परन्तु प्रार्थीगण के पति/पिता सोहनलाल के देहान्त पश्चात् अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई एवं प्रार्थीगण को पिता रूघाराम के जीवनकाल में किये गये घरू बंटवारा अनुसार 1/2 हिस्सा ना देना पड़े इसलिये प्रतिवादी नं0 4 ता 7 रोहिताश, मन्जू देवी, सुनीता, सुमन पि रूघाराम द्वारा अपना–2 हिस्सा अप्रार्थी नं0 1 के हक में परित्याग कर दिया। इस प्रकार जैर प्रार्थना पत्र रकबा में अप्रार्थी नं0 1, 5/8 हिस्सा की खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थी नं0 1, प्रार्थीगण की सास/दादी है। अप्रार्थी नं0 1 को जो रकबा प्राप्त हुआ हैं वोह स्व0 रूधाराम के देहान्त पश्चात् विरासतन व परित्यागपत्र प्राप्त हुआ हैं। जो कि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता हैं। घरू बंटवारा अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व हक बनता है। जो कि जरिये घोषणात्मक डिक्री पाने के अधिकारी हैं एवं बाद घोषणा प्राप्त हिस्सा भूमि का खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं। प्रार्थीगण स्व0 सोहनलाल के देहान्त पश्चात् जबरन घर से निकाले जाने के कारण अपने ननिहाल लालगढ जाटान में रहते है। प्रार्थी नं0 2 अभी नाबालिग स्थिति में है। जिसका लिखाई, पढाई व अन्य खर्चे अभी शेष है। अप्रार्थी नं0 1 अन्य वारिसो के दबाब में आकर अपने नाम दर्ज 5/8 हिस्सा को बैचान करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थी नं0 1 दावा के निर्णय से पूर्व रकबा बैचान करने में कामयाब हो जाती हैं तो प्रार्थीगण पैतृक भूमि में अपने हिस्से से वंचित हो जायेगें। व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी। प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा जबकि सुविधा सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैर प्रकारण रकबा की बाबत पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2023 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। पुष्टि में **RBJ 2009 P 78, RRT 2014(1)509, RRT 2021(2) P 1325** नजीर पेश की। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 व 7 ने तर्क किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा अप्रार्थी नं0 1 को अपने पति से प्राप्त हुआ है। पुत्रियो ने अपना हिस्सा स्नेहवश अपनी माता के हक में परित्याग किया हैं। स्व0 सोहनलाल अपना 1/8 हिस्सा विरासतन प्राप्त कर चुका है। हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत उक्त भूमि स्त्रीधन की तारीफ में आती है। चाहे अपने पति से पीहर से या अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त हुई हो वोह उस सम्पति की **SOLE OWNER** कहलाती है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता हैएवं ना ही उक्त भूमि की बाबत कोई बंटवारा हुआ है। प्रार्थीगण अपने पति/पिता के हिस्सा में ही हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी नं0 1 उक्त रकबा की **SOLE OWNER** व खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें एवं पूर्व में जारी निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावें। पुष्टि में **RBJ 1997(4) P 111, RRD 2004 P 756, RRC 1999 P 447**, हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 14 नजीर पेश की। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2024	योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी नं0 1 के नाम चक 41 पीबीएन खाता नं0 112 प0न0 71/377 कि0न0 15/2 ता 21 = 1.682 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि में 5/8 हिस्सा दर्ज है। जो कि अप्रार्थी नं0 1 को अपने पति स्व0 रूघाराम के देहान्त पश्चात् विरासतन एवं चार पुत्रियो द्वारा अपना–2 परित्याग किये जाने उपरान्त प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण को जैर रकबा में हिस्सा प्राप्त होगा या नही, अप्रार्थी नं0 1 को प्राप्त रकबा पैतृक हैं या स्वअर्जित? घरू बंटवारा हुआ हैं या नही? उक्त तथ्यो को निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य के आधार पर होगा। वर्तमान में प्रार्थी नं0 2 नाबालिग स्थिति में है। अप्रार्थी नं0 1 यदि वादपत्र के निर्णय से पूर्व अगर भूमि को हस्तान्तरण कर देती है तो प्रार्थीगण को पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर लागू होती हैं जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर **OVERRULED** कर चुकी है। जिसका कोई महत्व इस प्रकरण में नही रहा है। अप्रार्थी नं0 1 के प्रार्थीगण के पति/पिता सोहनलाल व प्रतिवादी नं0 2 ता 7 कुल सात जायज वारिस है। अतः अप्रार्थी नं0 1 के नाम जैर वाद रकबा में दर्ज 5/8 हिस्सा में प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाले 1/8 हिस्सा तक हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2023 में आशिक संशोधन किया जाकर चक 41 पीबीएन खाता नं0 112 प0न0 71/377 कि0न0 15/2 ता 21 = 1.682 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि में अप्रार्थी नं0 1 सावित्री के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा में 1/8 हिस्सा की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित वाद के निर्णय तक बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सदीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़